पुलिस का धमकी देना महंगा पड़ा चार के खिलाफ कार्रवाई

गांजे के केस में फंसाने की दे रहे धमकी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। पन्ना जिले के मड़ला थाना क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी को झूठे गांजे के केस में फंसाने की धमकी देकर मड़ला थाना पुलिस और एक शराब ठेके के कर्मचारी द्वारा मिलीभगत कर 95,000 की वसूली का मामला दर्ज हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा से शून्य पर दर्ज हुई कायमी के बाद मड़ला थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी रचना पटेल सहित चार लोगों के खिलाफ जबरन वसूली और साजिश की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

हासिल जानकारी के अनुसार बागेश्वरधाम दर्शन करने जा रहे रीवा के एक सोने-चांदी के व्यापारी को मड़ला पेट्रोल पंप के पास रोककर गाड़ी में गांजा होने का डर दिखाया गया। इसके बाद करीब दो घंटे तक बंधक बनाकर केस रफा-दफा करने के एवज में 95,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मड़ला थाना प्रभारी रचना पटेल, मुंशी रज्जाक खान, आरक्षक रामशरण अहिरवार और शराब ठेके के कर्मचारी बृजेश यादव पर मामला दर्ज किया है।

दर्शन करने जा रहे थे व्यापारी, रास्ते में घेरा - रीवा के वार्ड क्रमांक 31, तरहटी मोहल्ला निवासी पीड़ित सर्राफा व्यापारी मोहनलाल सोनी पिता शंकरलाल सोनी ने बताया कि 14 मई की दोपहर करीब 1 बजे वह अपनी मारुति कार से बागेश्वरधाम दर्शन के लिए निकले थे। शाम करीब 5 बजे जैसे ही उनकी कार मड़ला पेट्रोल पंप के पास पहुँची, उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई। इसी दौरान सिविल कपड़ों में दो लोग आए और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बीच की सीट से एक काली पॉलीथिन निकाली। उन्होंने व्यापारी से कहा कि तुम्हारी गाड़ी में गांजा है, तुम अवैध तस्करी कर रहे हो, थाना चलो।

शराब ठेके के पीछे ले जाकर 2 घंटे दी धमकी

व्यापारी ने जब खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि वह कोई नशा नहीं करते, तो कार में बैठे व्यक्ति ने अपना परिचय मड़ला थाने के मुंशी रज्जाक खान के रूप में दिया और दूसरे ने अपना नाम बृजेश यादव बताया जो वहीं शराब ठेके पर काम करता है। दोनों जबरन कार में बैठ गए और गाड़ी को पास के ही शराब ठेके के पीछे ले गए। वहाँ वर्दी पहने एक और पुलिसकर्मी रामशरण अहिरवार भी आ गया। तीनों आरोपियों ने मिलकर व्यापारी को शाम 7 बजे तक गांजे के केस में जेल भेजने की धमकी दी और डराया-धमकाया। केस से बचने के एवज में मुंशी रज्जाक खान और बृजेश यादव ने 1 लाख की मांग की। व्यापारी द्वारा काफी मिन्नतें करने के बाद वे 95,000 पर माने। आरोपियों ने अलग-अलग नंबरों और क्यूआर कोड पर 45,000 और 50,000 के दो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाए। कुल 95 हजार रुपए वसूलने के बाद व्यापारी को छोड़ा गया, जिसके बाद पीड़ित डर के मारे सीधे अपने घर रीवा लौट गया और वरिष्ठ अधिकारियों को आपबीती सुनाई। पीड़ित ने घटना के बाद रीवा में लिखित आवेदन दिया था, जिसके बाद रीवा पुलिस ने अपराध क्रमांक 0/26 दर्ज कर पन्ना पुलिस को भेजा। इसके बाद मड़ला थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 308(6) जबरन वसूली, 61(2) (आपराधिक साजिश) और 127(7) के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

कल्दा ने प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया

कल्दा वन-धन विकास केन्द्र बना जनजातीय महिला उद्यमिता का प्रतीक

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। कल्दा वन धन विकास केन्द्र जनजातीय महिला उद्यमिता का प्रतीक बन गया है। दक्षिण पन्ना में स्थित इस केन्द्र ने म.प्र. में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया है।

केन्द्र द्वारा इस वर्ष लगभग 21.4 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व एवं लगभग 5 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है, जो पिछले तीन वर्षों के औसत की तुलना में राजस्व में 400 प्रतिशत से अधिक तथा लाभ में 800 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। पूर्व वर्षों में केन्द्र का राजस्व एवं लाभ क्रमशः वर्ष 2021-22 में 6.5 लाख रुपए एवं 17 हजार रुपए, वर्ष 2022-23 में 4.7 लाख रुपए एवं 67 हजार रुपए, वर्ष 2023-24 में 2.6 लाख रुपए एवं 63 हजार रुपए और वर्ष 2024-25 में 5.1 लाख रुपए एवं 22 हजार रुपए रहा था। यह वृद्धि स्थानीय संग्राहकों को बेहतर मूल्य, गुणवत्तापूर्ण प्रसंस्करण एवं प्रभावी विपणन रणनीतियों का परिणाम मानी जा रही है। वन-धन विकास केन्द्र कल्दा के माध्यम से स्थानीय जनजातीय संग्राहकों को लघुवनोपज का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक प्राप्त हो रहा है। इसमें अचार व चिरौंजी चरवा का समर्थन मूल्य 130 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है, जबकि गुणवत्ता के आधार पर संग्राहकों को वन-धन केन्द्र के माध्यम से लगभग 160 रुपए से 180 रुपए प्रति किलोग्राम तक मूल्य प्राप्त हुआ। बाद में इसी उपज का प्रसंस्करण, डीसीडिंग, सफाई एवं आकर्षक पैकेजिंग कर कल्दा चिरौंजी ब्रांड के रूप में विपणन किया गया। इससे न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, जिससे जनजातीय महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। कल्दा वन-धन विकास केन्द्र द्वारा चिरौंजी, प्राकृतिक शहद, महुआ लड्डू, आंवला आधारित उत्पाद, त्रिफला चूर्ण, दहीमन, सूखा आंवला, बाल हर्रा एवं बहेड़ा छिलका जैसे विविध लघु वनोपज आधारित उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं।

बाल श्रम के विरुद्ध करें प्रभावी कार्रवाई : परमार

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। कलेक्टर ऊषा परमार ने गुरूवार को बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम के तहत गठित जिला टॉस्क फोर्स समिति की बैठक में बाल श्रम की सूचना पर इसके रोकथाम के लिए आवश्यक जांच कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में कहीं भी बाल श्रम की स्थिति न हो। दुकानों एवं संस्थान के भ्रमण के दौरान ऐसा पाए जाने पर तत्काल अवगत कराया जाए। बाल श्रम की पुष्टि उपरांत नियोजकों के विरूद्ध अविलंब कार्यवाही करें। बैठक में जानकारी दी गई कि नियोजकों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर दो वर्ष तक की सजा एवं 50 हजार रूपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा। बताया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों से बाल श्रमिक का कार्य प्रतिबंधित है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोर श्रमिकों से खतरनाक नियोजनों में भी कार्य पर प्रतिबंध है।

कलेक्टर ने बाल श्रम की संभावना वाले क्षेत्रों तथा इस संबंध में प्राप्त शिकायती आवेदन पर भी त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही उपस्थितजनों से आवश्यक सुझाव प्राप्त कर विद्यालय संचालन समय पर बच्चों की उपस्थिति तथा ड्रॉपआउट बच्चों की निगरानी के लिए भी कहा। जिला कलेक्टर ने पलायन रजिस्टर के संधारण तथा अनुविभाग स्तर पर भी बैठक के आयोजन पर जोर दिया। इस अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय बंधक श्रम सतर्कता समिति की बैठक में भी निर्धारित एजेंडा पर चर्चा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे सहित डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया, श्रम पदाधिकारी संजय आर्या एवं श्रम निरीक्षक वेदमणि दाहिया भी उपस्थित रहीं।

कागजों में फिटनेस दे रहा परिवहन विभाग

यात्री बसों की सुरक्षा भगवान भरोसे, जिम्मेदार बेखबर

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। जिले में संचालित यात्री बसों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नियमों के अनुसार बसों में आग बुझाने के यंत्र, पैनिक बटन, इमरजेंसी एग्जिट, फर्स्ट एड बॉक्स और जीपीएस सिस्टम जैसी आवश्यक सुविधाएं होना अनिवार्य है, लेकिन हकीकत में अधिकांश बसों में ये व्यवस्थाएं केवल कागजों तक सीमित नजर आ रही हैं।

क्षेत्र में चल रही कई बसों में न तो फायर एक्सटिंग्विशर सही स्थिति में मिलते हैं और न ही आपातकालीन दरवाजे उपयोग योग्य अवस्था में दिखाई देते हैं। कई बसों में इमरजेंसी एग्जिट बंद पड़े रहते हैं, जबकि आपात स्थिति में कांच तोड़ने के लिए आवश्यक हैमर भी उपलब्ध नहीं रहता। इसके बावजूद परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किए जाने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नियमों के अनुसार प्रत्येक यात्री बस के पास वैध परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। चालक के पास वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना प्रतिबंधित है, लेकिन कई बसों में ओवरलोडिंग आम बात बन चुकी है। सार्वजनिक परिवहन वाहनों में पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दुर्घटना या आपात स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके। रात्रिकालीन बसों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और रिफ्लेक्टर भी अनिवार्य हैं, लेकिन कई बसें बिना पर्याप्त सुरक्षा मानकों के सड़कों पर दौड़ रही हैं। नियम यह भी कहते हैं कि चालक को लगातार लंबे समय तक वाहन चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और निर्धारित विश्राम आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। इसके बावजूद कई बस चालक लगातार घंटों तक वाहन चलाते दिखाई देते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए बस स्टैंड और प्लेटफार्म का उपयोग करने की बजाय कई बस ऑपरेटर सड़क किनारे से ही सवारियां भरते नजर आते हैं। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि परिवहन विभाग समय-समय पर बसों की वास्तविक जांच करे और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकता है।

विवि जिला स्तरीय उड़नदस्ता ने दर्ज किए 16 नकल प्रकरण

परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मार्च 2026 की नई शिक्षा नीति स्नातक कक्षाओं की परीक्षाओं के दौरान जिला स्तरीय उड़नदस्ता संयोजक डॉ एस डी चतुर्वेदी प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय पन्ना के नेतृत्व में टीम द्वारा जिले के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय के परीक्षा केंद्रों का निरंतर निरीक्षण किया गया।

जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग एवं उड़नदस्ते के लगातार परीक्षा केन्द्रों पर भ्रमण से दोनों पालियों में आयोजित स्नातक परीक्षा शांति और सुचारू रूप से सम्पन्न हुई। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा अनुचित सामग्री का उपयोग करते हुए पाए जाने पर कुल 16 नकल प्रकरण बनाए गए जिनमें शासकीय महाविद्यालय अमानगंज में 11 प्रकरण, शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ में 01 प्रकरण तथा छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में 04 प्रकरण दर्ज किए गए। विश्वविद्यालय द्वारा गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ते टीम में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. जे. के. वर्मा एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. सिद्धू सिंह तथा डॉ. पूनम सिंह क्रीड़ा अधिकारी शामिल रहें।

कलेक्टर ने जनसंपर्क के व्हाट्सएप चैनल का किया शुभारंभ

जिले की महत्वपूर्ण जानकारी अब सीधे मोबाइल पर

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। जिलेवासियों को शासन-प्रशासन की महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी त्वरित मिले, इस उद्देश्य से कलेक्टर ऊषा परमार ने गुरूवार को कलेक्टर कक्ष में जनसंपर्क विभाग पन्ना के आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर कलेक्टर श्रीमती परमार ने स्वयं अपने मोबाइल पर चैनल को फॉलो किया।

साथ ही सभी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं जिले के नागरिकों से भी अधिक से अधिक संख्या में चैनल से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब शासन-प्रशासन की महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक जानकारियां सीधे नागरिकों के मोबाइल तक पहुंच सकेंगी, जिससे आमजन को समय पर सही जानकारी प्राप्त होगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि चैनल की विशेषता यह है कि यहां केवल आधिकारिक एवं प्रमाणिक जानकारी साझा की जाएगी, जिससे नागरिक फेक न्यूज एवं भ्रामक खबरों से सुरक्षित रह सकेंगे। विदित हो कि जनसंपर्क विभाग मध्यप्रदेश द्वारा प्रत्येक जिले का आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल तैयार कराया गया है, ताकि सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक गतिविधियों एवं जनहितकारी सूचनाओं का त्वरित प्रसार किया जा सके।

इस चैनल के माध्यम से जिले की प्रमुख प्रशासनिक गतिविधियां, शासकीय आदेश, जनहितकारी योजनाएं, भर्ती संबंधी सूचनाएं, अभियान, उपलब्धियां एवं अन्य महत्वपूर्ण अपडेट सीधे आमजन तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया एवं श्रम निरीक्षक वेदमणि दाहिया द्वारा भी जनसंपर्क विभाग के सरकारी पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो किया गया।

सड़क एवं पानी की समस्या को लेकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। गत दिवस पन्ना जिले के ग्राम पंचायत गोल्ही पाठक के अन्तर्गत आने वाले मजरा ररियाटोला के लगभग आधा सैकड़ा ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से सड़क एवं पेयजल की समस्या के निदान की मांग की।

ज्ञात हो कि ररियाटोला सिमरी वैश्य के निवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव की जर्जर सड़क और पीने के पानी की गंभीर समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर के पास पहुंचकर एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

पेयजल संकट का कर रहे सामना - गांव में पानी की भी भीषण किल्लत है। ग्रामीणों के अनुसार भू-जल स्तर काफी नीचे गिर जाने के कारण जल स्रोत सूख गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि पर कोई भी शासकीय बोरवेल नहीं लगवाया गया है। इस वजह से ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए लगभग एक किलोमीटर दूर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है।

सड़क न होने से स्वास्थ्य और शिक्षा पर संकट

ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि सिमरी वैश्य तक तो पक्की सड़क बनी है लेकिन वहां से ररियाटोला तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह कच्चा और अत्यंत जर्जर स्थिति में है। इसके कारण बरसात के दिनों में रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। एम्बुलेंस या अन्य वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में भारी कठिनाई होती है। समय पर इलाज न मिल पाने के कारण कई मरीजों की जान भी जा चुकी है।

कलेक्टर ने बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के संबंध में दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। कलेक्टर ऊषा परमार ने गुरूवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्धारित एजेंडा एवं आवश्यक प्रस्ताव पर चर्चा कर जिले में सड़क दुघर्टनाओं पर रोकथाम के उद्देश्य से संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर मापदण्ड अनुरूप विभिन्न स्थानों पर सड़क मरम्मत तथा पन्ना नगर के बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने सहित ओवर स्पीड पर नियंत्रण एवं स्पीड ब्रेकर लगवाने व अन्य सुधारात्मक प्रयास के संबंध में भी निर्देशित किया गया। वन विभाग के स्तर पर जरूरी कार्यों के लिए वांछित स्वीकृति पर भी चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने मड़ला घाटी पर ओवरलोड वाहनों पर हाईटेक व्यवस्था के माध्यम से निगरानी सहित पीएम राहत योजना के क्रियान्वयन व व्यापक प्रचार-प्रसार तथा नगर पालिका के अधिकारी को प्राथमिकता से आशीष लाज के निकट तिराहा पर ई-रिक्शा स्टैंड का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने, सांसद सुविधा केन्द्र के सामने स्थापित स्पीड ब्रेकर के ऊपर रंग ग्रोवन व्हाइट पेंट लगवाने तथा शहर के विभिन्न स्थानों पर आमजन से संवाद व मांग के आधार पर स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए भी कहा। बिलखुरा तिराहा पर संबंधित रोड एजेंसी से स्पीड ब्रेकर बनवाने सहित बृजपुर थाना से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर, रेडियम रिफ्लेक्टर, गति अवरोधक, संकेतक चिन्ह लगाने, ब्रेकर व जेब्रा क्रॉसिंग बनाने तथा रेडियम बेरिकेडिंग एवं रेलिंग व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा नेशनल हाईवे 39 पर स्थित भैरव घाटी में कई स्थानों पर साइड दिवारों के निर्माण के बाद रोड कॉर्नर में मिट्टी भराव कार्य के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे एवं कार्यपालन यंत्री जे.पी. सोनकर सहित यातायात प्रभारी नीलम लक्षकार व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

हत्या के आरोप में बंद आरोपी को हाईकोर्ट ने किया बरी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की युगलपीठ ने 12 वर्षीय नितिन की हत्या के बहुचर्चित मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे संजय गुप्ता को बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति अवनिंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सत्र न्यायालय रायसेन के 03 अप्रेल 2017 के फैसले को रद्द करते हुए तल्ख टिप्पणी की ट्रायल कोर्ट ने मामले का ट्रैक खो दिया और हुक या क्रूक से दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया। यह अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय है। संजय गुप्ता निवासी मंडीदीप, जिला रायसेन को धारा 364, 302, 201 भादवि में दोषी ठहराकर आजीवन कारावास व कुल 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अभियोजन का आरोप था कि 07 अप्रेल 2015 को संजय गुप्ता ने 12 वर्षीय नितिन को घर बुलाकर हत्या की और शव बोरे में भरकर कूड़े में फेंक दिया। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता आनंद कुमार शुक्ला , आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी एवं असीम त्रिवेदी ने पैरवी की। अधिवक्ता आनंद कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि लास्ट सीन गवाह साहब सिंह ने नितिन को संजय के साथ नहीं, उसके बेटे के साथ देखा था। गवाह प्रेमसिंह लोवंशी ने बताया कि घटना दिनांक 07 अप्रेल 2015 को संजय गुप्ता सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक आकाश फैक्ट्री में ड्यूटी पर था और रात 8 बजे से भोपाल में मालिक की बेटी की बर्थडे पार्टी में शामिल था। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि व दंडादेश निरस्त कर संजय गुप्ता को सभी आरोपों से बरी कर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता आनंद कुमार शुक्ला, आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, असीम त्रिवेदी ने पैरवी की।

एसपी ने थाना एवं चौकी प्रभारियों के किए स्थानांतरण

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। एसपी पन्ना श्रीमति निवेदिता नायडू ने अधिनस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक दृष्टि से तथा स्वयं के निवेदन पर अस्थाई रूप से स्थानातंरण आदेश जारी किये है, जिसमें निरीक्षक बखत सिंह ठाकुर जो रक्षित केन्द्र पन्ना में थे उन्हें थाना प्रभारी मड़ला में स्थानांतरित किया गया है।

वहीं उपनिरीक्षक अंकित मिश्रा को थाना गुनौर से थाना प्रभारी बृजपुर, उपनिरीक्षक बलबीर सिंह को थाना प्रभारी सलेहा से थाना प्रभारी गुनौर, उपनिरीक्षक शक्ति प्रकाश पाण्डेय को थाना प्रभारी बृजपुर से थाना प्रभारी सलेहा, उपनिरीक्षक सावित्री राजपूत को थाना कोतवाली से थाना प्रभारी महिला पुलिस थाना पन्ना, उपनिरीक्षक प्रज्ञा परौहा थाना कोतवाली से चौकी प्रभारी बराछ, उपनिरीक्षक प्रियंका राजपूत को थाना अमानगंज से रीडर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पन्ना एवं कार्य0 उनि सरोज गहलोत को थाना प्रभारी महिला पुलिस थाना पन्ना से चौकी प्रभारी नरदहा थाना धरमपुर सहित सउनि श्रीलाल राजपूत रीडर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पन्ना से चौकी प्रभारी अस्थाई पुलिस चौकी पुरैना थाना सिमरिया एवं सउनि हरिश्चन्द्र राठौर को चौकी प्रभारी अस्थाई पुलिस चौकी पुरैना थाना सिमरिया से थाना सिमरिया, सउनि राम मोहन सिंह को चौकी प्रभारी मझगंवा थाना कोतवाली से चौकी प्रभारी खोरा थाना धरमपुर, सउनि कृष्ण कुमार विश्वकर्मा थाना कोतवाली पन्ना से चौकी प्रभारी मझगंवा थाना कोतवाली, सउनि पर्वत सिंह जिला छतरपुर हाल थाना सलेहा को थाना कोतवाली पन्ना, सउनि आनंद मोहन मिश्रा थाना पवई से थाना कोतवाली, प्र0आर0 संतोष सिंह तोमर थाना कोतवाली से थाना अजयगढ स्थानांतरित किया गया है।

पर्व शांतिपूर्वक मनाने के लिए हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 21 मई। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आगामी 27 मई को ईदुज्जुहा एवं 26 जून को मोहर्रम पर्व शांतिपूर्वक मनाए जाने के दृष्टिगत जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई।

ईद पर बादशाह साईं बड़ी ईदगाह, जामा मस्जिद एवं पुराना पावर हाउस के पास स्थित ईदगाह में सुबह 8 बजे नमाज अता की जाएगी। इस दौरान ईदगाह परिसर एवं नालियों की साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल के प्रबंध व निर्बाध रूप से पानी सप्लाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अनुविभागीय मजिस्ट्रेट भी अपने अनुविभाग में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करें। पर्व के दौरान फायर बिग्रेड एवं एम्बुलेंस सहित मेडिकल टीम की तैनाती भी की जाए। इस क्रम में मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सड़क मरम्मत, विद्युत व्यवस्था तथा उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के निर्देश दिए गए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान द्वारा शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। एएसपी ने भड़काउ संदेश एवं किसी भी अफवाह से बचने की सलाह दी तथा सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती, पेट्रोलिंग व यातायात व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी।

ताजिया विसर्जन को लेकर हुई चर्चा

मोहर्रम पर कमलाबाई ताल एवं दहलान ताल के निकट ताजिया विसर्जन के दौरान भी आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा हुई। शांति समिति सदस्यों से व्यवस्थाओं में आवश्यक सहयोग का आग्रह किया गया। बैठक में नपाध्यक्ष मीना पाण्डेय सहित अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे, डिप्टी कलेक्टर अनिल कुमार तलैया एवं अन्य विभागों के अधिकारी तथा समिति के सदस्यगण भी उपस्थित रहे।